सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–15 शुक्रवार, दिनांक–24 मार्च, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:32 बजे अपराह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही कांग्रेस तथा वामपंथी दल के सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए। आसन द्वारा माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया गया।

तदुपरान्त माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा बिजली दर में की गयी बढ़ोतरी का मामला उठाया गया।

माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा स्पष्ट किया गया कि बिजली दर विद्युत विनियामक आयोग द्वारा तय की जाती है। साथ ही, सदन को आश्वस्त किया कि बढ़े दर से गरीबों को कोई कठिनाई नहीं होगी।

तत्पश्चात आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विषय पर चर्चा की मांग की गई। आसन द्वारा कहा गया कि हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है परन्तु न्यायालय के न्याय निर्णय से संबंधित किसी भी विषय पर सदन में चर्चा की अनुमति नहीं है।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण बिजली दर के प्रस्तावित वृद्धि को वापस लेने की मांग पर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस विषय को उठाया गया, माननीय मंत्री द्वारा इसका उत्तर भी दे दिया गया है। इसलिए माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर जायें। आसन के बार–बार अनुरोध के उपरांत सदन में शांति कायम हुई।

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 03 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।
(iii) 02 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।
(iv) 11 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(v) 113 तारांकित प्रश्न अनागत।

[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :-

माननीय सदस्य, श्री प्रेम कुमार, श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री मोती लाल प्रसाद, श्री संजय सरावगी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री विद्या सागर केशरी, श्री जनक सिंह, श्रीमती रश्मि वर्मा एवं श्री केदार प्रसाद गुप्ता द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

परन्तु आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री प्रेम कुमार ने अपने कार्यस्थगन की सूचना को पढ़ा।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:-

(i)	श्री उमाकांत सिंह	(ii)	श्री इजहारूल हुसैन
(iii)	श्री मुकेश कुमार यादव	(iv)	डॉ० निक्की हेम्ब्रम
(v)	श्री राउद आलम	(vi)	श्रीमती भागीरथी देवी
(vii)	श्री संजय सरावगी	(viii)	श्री ललन कुमार
(ix)	श्रीमती मंजु अग्रवाल	(x)	श्री अरूण सिंह
(xi)	श्री अमरजीत कुशवाहा	(xii)	श्री मनोज मंजिल
(xiii)	श्रीमती गायत्री देवी	(xiv)	श्री अनिल कुमार
(xv)	श्री गोपाल रविदास	(xvi)	श्री विद्या सागर केशरी
(xvii)	श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव	(xviii)	श्री अखतरूल ईमान
(xix)	श्री प्रेम कुमार	(xx)	श्री अरूण शंकर प्रसाद
(xxi)	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह	(xxii)	श्रीमती रेखा देवी
(xxiii)	श्री सुर्यकान्त पासवान	(xxiv)	श्री महा नंद सिंह
(xxv)	श्री राम सिंह	(xxvi)	श्री सुनील मणि तिवारी
(xxvii)	श्री राम रतन सिंह	(xxviii)	श्री मोती लाल प्रसाद
(xxix)	श्री राजवंशी महतो		

[4] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

(ii) माननीय मंत्री, कृषि विभाग, श्री कुमार सर्वजीत द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 34(2)(i) के आलोक में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पुसा, समस्तीपुर का वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद यादव एवं अन्य सभासदों का परिवहन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद यादव द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, श्रीमती शीला कुमारी द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य, श्री सुदामा प्रसाद एवं अन्य सभासदों का कृषि विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना सत्र की प्रथम पाली में समयाभाव के कारण अगली तिथि के लिए सूचीबद्ध करने का आसन से निदेश दिया गया।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05:10 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[6] वित्तीय कार्य :-वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-02 (जल संसाधन विभाग; लघु जल संसाधन विभाग; सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग तथा लोक

स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग), खंड–01 (कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) एवं खंड–11 (गृह विभाग; सामान्य प्रशासन विभाग; मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग; निगरानी विभाग तथा निर्वाचन विभाग)] पर वाद–विवाद एवं मतदान।

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, श्री संजय कुमार झा द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से जल संसाधन विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

तदुपरान्त माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया।

तत्पश्चात अनुदानों की मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर वाद–विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:–

1. श्री जिवेश कुमार
2. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव
3. श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल'
4. श्री निरंजन कुमार मेहता
5. श्री अखतरूल ईमान
6. श्री जय प्रकाश यादव

[इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

7. श्री निरंजन राय
8. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी
9. श्री अजय कुमार सिंह
10. श्री केदार प्रसाद गुप्ता
11. श्री महबूब आलम
12. श्री अजय कुमार
13. श्री सुर्यकान्त पासवान
14. श्री विद्या सागर केशरी
15. श्री मुहम्मद इजहार असफी

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

16. श्री बिजय सिंह

तत्पश्चात माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, श्री ललित कुमार यादव; माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव तथा माननीय मंत्री, कृषि विभाग, श्री कुमार सर्वजीत द्वारा अपने–अपने विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप में अपना–अपना पक्ष रखा गया।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, श्री संजय कुमार झा द्वारा सरकार की ओर से वाद–विवाद का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया।

इस दौरान सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा जल संसाधन विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात अनुदान की शेष मांगें बारी–बारी से गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा सदन से स्वीकृत हुआ।

[7] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 52 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक सोमवार, दिनांक–27 मार्च, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–24.03.2023

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।